न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला (सीकर)
रूड़ाराम वगैरह v/s गणपतराम वगै० [प्रा० पत्र u/s 251(क) R.T.Act]
मु० नं० 09/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
25/09/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में रास्ते हेतु आने वाली भूमि की डी० एल० सी० दर की रिपोर्ट मंगवाने बाबत उप पंजीयक खण्डेला को तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 03/10/2019 को पेश हो।	
03/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप०। प्रकरण में रास्ते हेतु आने वाली भूमि की जमा योग्य राशि की रिपोर्ट उप पंजीयक खण्डेला से प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खण्डेला रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का एवं तहसीलदार खण्डेला से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को ही तहसीलदार खण्डेला द्वारा निकटतम एवं लघुतम रास्ता बताया है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होना बताया है। अत: उक्त तथ्यों के आलोक में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(क) के वृहद उद्देश्यों की पूर्ति में प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :- निर्णय तन ग्राम बावड़ी अवस्थित कृषि भूमि के ... से आवागमन हेतु ग्राम गिरधारी-	

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सिंहकाबास के ख० नं० 1042 में से 0.04 है०, 1043 में से 0.025 है०, 1044 में से 0.01 है०, 1045 में से 0.045 है० व 1053 में से 0.025 है० भूमि दक्षिणी सीमा के अन्दर नहरे सहारे पश्चिमी - पूर्वी लम्बाई में तथा पांच मीटर चौड़ाई में गै० मु० सिवायचक (सार्वजनिक) रास्ता दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। उक्त रास्ता प्रकृति: सार्वजनिक उपयोग - उपभोग का रहेगा। तहसीलदार खण्डेला, रास्ते मे आने वाली भूमि की उप पंजीयक खण्डेला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर जमा योग्य राशि 341686 रुपये शब्दे तीन लाख इकतालीस हजार छः सौ छियासी रुपये मात्र राजकोष में जमा लेकर उक्तानुसार रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवायें। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करने ~~करवाने~~ हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03/10/2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (रणजीत सिंह) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर) उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner